कार्यालय

# उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला,देहरादून, 248001
email: ceouk@wakf.gov.in

पत्रांकः–990 / वाद प0 सं0 200 / धारा–54 / व0सं0–19–अल्मोडा / 2019–20 दिनांकः 28 फरवरी, 2020

## आन्तरिक वाद सं0 14 वर्ष 2019 अन्तर्गत धारा 54
## वक़्फ अधिनियम 1995 यथासंशोधित 2013

**वक़्फ सं0 19, जामा मस्जिद रानीखेत, अल्मोड़ा द्वारा**
**प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष श्री मौहम्मद इरफान**
**बनाम**
**श्री शाहिद पुत्र श्री रहीम बख्श**
**निवासी–मस्जिद लालकुर्ती परिसर, कुमपुर बाजार, रानीखेत, अल्मोड़ा**

1. वक़्फ सं0 19, जामा मस्जिद रानीखेत, अल्मोड़ा की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष श्री मौहम्मद इरफान द्वारा अपने पत्र दिनांक 30.09.2019 के माध्यम से श्री शाहिद हुसैन पुत्र श्री रहीम बख्श निवासी मस्जिद लालकुर्ती परिसर, कुमपुर बाजार, रानीखेत, अल्मोड़ा को वक़्फ सम्पत्ति के अवैध कब्जेधारक के रुप में परिभाषित करते हुए वक़्फ अधिनियम 1995 यथासंशोधित 2013 की धारा 54 के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।
2. वक़्फ निरीक्षक श्री मौहम्मद अली द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज़ों का निरीक्षण कर आख्या दी कि प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष श्री मौहम्मद इरफान द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति के किरायेदार श्री शाहिद हुसैन पुत्र श्री रहीम बख्श को एक नोटिस दिनांक 09.01.2019 अन्तर्गत टी0पी0 एक्ट की धारा 106 प्रेषित करते हुए सूचित किया कि दिनांक 08.02.2019 तक कुल 58 माह का किराया 220 रु0 की दर से कुल धनराशि 15,060.00 रुपये प्रबन्ध समिति के पक्ष में जमा करा दें, अन्यथा की दृष्टि में किरायेदारी समाप्त कर बेदखली एवं मुआवजा इस्तेमाल की कार्यवाही कर दी जाएगी। परन्तु अध्यक्ष प्रबन्ध समिति द्वारा अपने पत्र दिनांक 14.02.2019 के माध्यम से अवगत कराया कि उपरोक्त किरायेदार द्वारा बकाया किराया जमा नहीं कराया गया है, अतः उपरोक्त व्यक्ति को अवैध कब्जेधारक मानते हुए बेदखली की कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत सम्पत्ति का कब्जा प्रबन्ध समिति को दिलाया जाए। वक़्फ निरीक्षक द्वारा प्रबन्ध समिति से अवैध कब्जेधारकों द्वारा अतिक्रमित की गयी वक़्फ सम्पत्ति की चौहद्दी, कर निर्धारण की प्रतिलिपि प्राप्त कर वक़्फ अधिनियम 1995 की धारा 54 के तहत अवैध कब्जेधारकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।
3. अधोहस्ताक्षरी द्वारा वक़्फ अधिनियम 1995 की धारा 3(ee) का का अवलोकन किया गया जिसमें वक़्फ सम्पत्ति के अतिक्रमणकारी–

   > "encroacher" means any person or institution, public or private, occupying waqf property, in whole or part, without the authority of law and includes a person whose tenancy, lease or license has expired or has been terminated by mutawalli or the Board;

उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि श्री शाहिद हुसैन पुत्र श्री रहीम बख्श की किरायेदारी नोटिस दिनांक 09.01.2019 के माध्यम से प्रबन्ध समिति द्वारा समाप्त कर दी गयी एवं दिनांक 08.02.2019 से उपरोक्त व्यक्ति अतिक्रमणकारी घोषित हो गये हैं।

4. अतः उत्तराखण्ड वक़्फ बोर्ड नियमावली–2017 के नियम सं0 53 के अनुसार विपक्षी श्री शाहिद हुसैन पुत्र श्री रहीम बख्श निवासी मस्जिद लालकुर्ती परिसर, कुमपुर बाजार, रानीखेत, अल्मोड़ा को सुनवाई हेतु दिनांक 21.12.2019 नियत करते हुए नोटिस जारी किये गये।

5. सुनवाई हेतु नियत दिनांक 21.12.2019 को प्रतिवादी श्री शाहिद हुसैन पुत्र श्री रहीम बख्श अनुपस्थित रहे तथा प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष श्री मौहम्मद इरफान उपस्थित हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया, नोटिसों की तामिली आख्या अप्राप्त रही। अतः वाद में दिनांक 18.01.2019 नियत करते हुए श्री शाहिद हुसैन पुत्र श्री रहीम बख्श निवासी–उपरोक्त को नोटिस जारी किया गया।

6. नियत दिनांक 18.01.2020 को प्रतिवादी श्री शाहिद हुसैन पुत्र श्री रहीम बख्श अनुपस्थित हुए। संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत द्वारा प्रेषित नोटिस तामिली आख्या प्रस्तुत की गयी जिसे पत्रावली का भाग बनाया गया। न्यायहित में सुनवाई हेतु प्रतिवादी को अन्तिम अवसर देते हुए अगली तिथि 15.02.2020 नियत की गयी।

7. दिनांक 15.02.2020 को प्रतिवादी पुनः अनुपस्थित रहे। नोटिस तामील के उपरान्त भी प्रतिवादी द्वारा सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हो रहे। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आलोक में अग्रिम कार्यवाही की गयी।

8. पत्रावली पर उपलब्ध औक़ाफ रजिस्टर अन्तर्गत धारा 37 वक़्फ अधिनियम 1995 की हिन्दी प्रतिलिपि एवं छावनी परिषद रानीखेत द्वारा जारी गृहकर रसीद से स्पष्ट है कि प्रश्नगत सम्पत्ति जामा मस्जिद रानीखेत की सम्पत्ति है। जो कि वक़्फ सं0 19, अल्मोड़ा के अन्तर्गत बोर्ड कार्यालय में पंजीकृत है।

9. वादी के द्वारा दिनांकित 09.01.2019 के सूचनापत्र अन्तर्गत धारा 106 सम्पत्ति अन्तरण अभिनियम के माध्यम से दिनांक 08.02.2019 को प्रतिवादी की किरायेदारी समाप्त की जा चुकी है, अतः प्रतिवादी वक़्फ अधिनियम 1995 की धारा 3(ee) में दी गयी परिभाषा के अनुसार वक़्फ सम्पत्ति के अतिक्रमणकारी साबित होते हैं।

## आदेश

इस निर्णय में की गयी उपरोक्त विवेचना के आलोक में प्रतिवादी को सुनवाई एवं अपना कथन प्रस्तुत करने पर्याप्त अवसर देने एवं सम्बन्धित अभिलेखों का परिशीलन करने के उपरान्त मैं अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उपरोक्त सम्पत्ति एक वक़्फ सम्पत्ति है और प्रतिवादी प्रश्नगत सम्पत्ति पर अवैध रूप से काबिज है एवं वादी प्रतिवादी से विचरण बिन्दु संख्या 3 में लिये गये निष्कर्ष के अनुसार किराया राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। प्रतिवादी निम्नलिखित वर्णित सम्पत्ति से बेदखल किये जाने योग्य है।

<u>सम्पत्ति विवरण–</u>

**वक़्फ सं0 19, मस्जिद लालकुर्ती के परिसर में स्थित टीन शेड, सर्वे सं0 149/27, कुमपुर बाजार, रानीखेत, अल्मोडा। पूरब– रास्ता, पश्चिम– रास्ता, उत्तर–मस्जिद, दक्षिण– मकान।**

अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा वक़्फ अधिनियम 1995 की धारा 54 के तहत श्री शाहिद हुसैन पुत्र श्री रहीम बख्श पता–मस्जिद लालकुर्ती परिसर, कुमपुर बाजार, रानीखेत, अल्मोड़ा तथा उपरोक्त वक़्फ की अन्य सम्पत्ति पर अवैध रूप से काबिज सभी व्यक्तियों को आदेशित किया जाता है कि इस आदेश प्राप्ति के 15 दिन के भीतर उपरोक्त वर्णित वक़्फ सम्पत्ति का कब्जा अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति मस्जिद लालकुर्ती, रानीखेत के सुपुर्द कर दें अन्यथा बाद गुजरने मियाद अग्रिम कार्यवाही कर दी जाएगी।

28/2/20
(डॉ0 अहमद इक़बाल)
आई0ए0एस
**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

**पृष्ठांकन संख्याः 990 /तददिनांक।**
**प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. जिलाधिकारी/अपर वक़्फ आयुक्त, अल्मोड़ा।
2. संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत, अल्मोड़ा।
3. श्री अहरार बेग, स्थायी अधिवक्ता, उत्तराखण्ड वक़्फ बोर्ड को वकालतनामा इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रकरण में मा0 वक़्फ अधिकरण हल्द्वानी में कैविएट दाखिल करने का कष्ट करें।

28/2/20
(डॉ0 अहमद इक़बाल)
आई0ए0एस
**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**